



महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक
विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

शोध नीति

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	3
2	महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के उद्देश्य	3
3	अनुसंधान के संबंध में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की शक्तियाँ	3
4	अनुसंधान नीति अभिलेख संबन्ध	4
5	अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र	4
6	अनुसंधान के लिए प्राथमिकताएँ और महत्वपूर्ण क्षेत्र	5
7	अनुसंधान के लिए संकाय तथा विभाग	7
8	केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड	7
9	अनुसंधान सलाहकार परिषद	9
10	अनुसंधान नीति का कार्यान्वयन तंत्र	9
11	अनुसंधान के लिए आचार संहिता	10
12	विद्यावारिधि के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति	11
13	अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में संकाय सदस्यों के कर्तव्य	12
14	शोधार्थी के कर्तव्य	12
15	विद्यावारिधि/(Ph.D) उपाधि हेतु किए जाने वाले अनुसंधान के संचालन के लिए प्रक्रियाएं	13

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश राज्य में संस्कृत भाषा के विकास और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को स्थापित और निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

(म.पा.सं. वि. अधिनियम 2006, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 04-08-2008 पृष्ठ 938(1)प्रस्तावना, पृष्ठ 1)।

2008 से एक विश्वविद्यालय के रूप में प्रारम्भ होने के बाद से, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ने संस्कृत शास्त्रों, भाषा और संबद्ध क्षेत्रों में अपनी शोध नीति के माध्यम से, संस्कृत भाषा और संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने में सतत योगदान दिया है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका उसके अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में प्रतिबिंबित होती है जिसका उद्देश्य ज्ञान की अत्यधिक समृद्ध प्रणालियों को प्रोत्साहन देना और संरक्षण करना है।

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में किए गए गुणवत्तापूर्ण शोध के परिणामस्वरूप पुस्तकों और पत्रिकाओं के अनेक प्रकाशन हुए। ये प्रकाशन भारत के प्राचीन ज्ञान तक पहुँचने और उसका प्रसार करने के लिए अनेक प्रासंगिक माने जाते हैं।

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के उद्देश्य:

म.पा.सं.वै.वि. अधिनियम 2006 के अनुसार, अनुसंधान के संबंध में म.पा.सं.वै.वि. के उद्देश्य होंगे:

- संस्कृत की शिक्षा और ज्ञान का अभिवर्धन तथा प्रसार करना।
- संस्कृत भाषा के ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अभिभाषणों,संगोष्ठियों, परिसंवादों और अधिवेशनों को आयोजित करना।
- परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना और
- ऐसे समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुसांगिक,आवश्यक या सहायक है।
- संस्कृत भाषा और प्राचीन ज्ञान की विविध शाखाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनुसंधान अवसर प्रदान करके ज्ञान का प्रसार करना। {म.पा.सं.वि.वि.अधिनियम 2006,म.प्र.राजपत्र दिनांक 04-08-2008,पृष्ठ 938(2)}

अनुसंधान के संबंध में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:

- विश्वविद्यालय का और गवेषणा,शिक्षा और शिक्षण के केन्द्रों का,जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक है,प्रशासन तथा प्रबंध करना।
- संस्कृत तथा सामाजिक विकास के समस्त तथ्यों पर गवेषणा कार्य प्रायोजित करना तथा स्वाधिकार में लेना।
- शोध उपाधि तथा उपाधि-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और विश्वविद्यालय में शोधार्थी के प्रवेश को विनियमित करना।

- विभिन्न विभागों और केंद्रों में शिक्षण कर्मचारियों की संयुक्त नियुक्तियाँ करके अनुसंधान को प्रोत्साहित करना ।
 - विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षा के नियमों, महाविद्यालयों और संस्थानों के मध्य शिक्षण के समन्वय, अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में संशोधन के संबंध में निर्देश देना ।
 - शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों में संशोधन के उपाय तैयार करना ।
 - विश्वविद्यालय के उत्कृष्टता के क्षेत्र का निर्धारण करना और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन करना ।
- {म.पा.सं.वि.वि.अधिनियम 2006,म.प्र.राजपत्र दिनांक 04-08-2008,पृष्ठ 938(2)}

अनुसंधान नीति अभिलेख संबन्ध

- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में अनुसंधान में उत्कृष्टता और प्रासंगिकता के साथ अनुसंधान को उच्चतम मानकों पर संचालित करने के लिए, अनुसंधान नीति प्रस्तुत करता है ।
- अनुसंधान नीति अभिलेख का उद्देश्य विश्वव्यापी मानकों को पूरा करने वाले विशेष अनुसंधान समूहों का गठन करके एक अनुकूल अनुसंधान संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है ।

अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र

1. अनुसंधान परियोजनाएँ

- सीड मनी से संबंधित प्रावधान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी अनुसंधान परियोजना को प्रोत्साहित करेंगे । सीड मनी का अनुदान नवीन विचारों, ज्ञान को प्रोत्साहन देगा और अनुसंधान परियोजनाओं के आरम्भ की सुविधा प्रदान करेगा जो संभावित रूप से बाह्य अनुदान के माध्यम से अपने स्वयं के स्रोतों का विकास भी करेगा ।
- अधोसंरचना जिसमें सुविधाएं, संसाधन और सेवाएं शामिल हैं, अनुसंधान परियोजना के लिए विभिन्न संस्थाओं से, वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया जाएगा । प्रावधानों को अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन और संस्कृत और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए निर्मित किया जाएगा ।
- अनुसंधान संस्कृति और अनुसंधान परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

2. शोध प्रकाशन

- विश्वविद्यालय संस्कृत और अन्य संबद्ध विषयों के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं के मुद्रण (प्रिंट) और ऑनलाइन प्रकाशन को प्रोत्साहित करेगा ।
- विश्वविद्यालय स्थापित विद्वानों और लेखकों के प्रकाशित दुर्लभ प्रकाशनों के पुनर्प्रकाशन में भी आर्थिक रूप से सहायता करेगा ।
- विश्वविद्यालय नवीन अनुसंधानों को प्रकाशित करने के लिए संकाय सदस्यों को सक्रिय और प्रोत्साहित करेगा ।
- उच्च अनुक्रमित गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में गुणवत्तापूर्ण शोध पत्र संकाय सदस्यों को संस्कृत ज्ञान परंपराओं के संबंध में गुणवत्तापूर्ण शोध प्रस्तुत करने के लिए सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

- विश्वविद्यालय विशेष रूप से अंतर्विषयक और बहु-विषयक अनुसंधान प्रकाशन की संस्तुति, समर्थन और संरक्षण करेगा।

3. बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यापक विषय 'क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया' के तहत, यह नीति विश्वविद्यालय में एक गतिशील, जीवन्त और संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली को प्रोत्साहित करेगी। नीति अभिलेख रचनात्मकता और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा, और उद्यमशीलता को विकसित करेगा और सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को विकसित करेगा, और योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य सेवा, सतत विकास और महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक के अन्य क्षेत्रों सहित संस्कृत ज्ञान परम्परासंवर्धन में ध्यान केंद्रित करेगा।
- विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार शोधकर्ता को उसके मस्तिष्क की रचनाओं पर दिया गया विधिक अधिकार है। शोधकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखेगा जो नवाचारों के समायोजन के लिए महत्वपूर्ण है। विचारों की सुरक्षा के साथ अनुसंधान और आविष्कारों का पूरा लाभ मिले ऐसा प्रयत्न विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

4. पाण्डुलिपि भंडार

- पाण्डुलिपियों को संलग्न करना, एकत्र करना, क्रय करना, डिजिटलाइज़ करना और आईपीआर और पेटेंट के रूप में स्वीकार करना, ये सभी कार्य किए जाएंगे।
- संरक्षण नियमों के अनुसार पाण्डुलिपियों का संरक्षण और संधारण मुख्य बिन्दु होंगे।
- पाण्डुलिपियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित की जाएंगी, और भुगतान के साथ शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त धनराशि से पाण्डुलिपियों का संग्रह एवं संरक्षण किया जाएगा।

5. विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसंधान

- विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान को सम्मिलित किया जाएगा जैसे स्नातक, परास्नातक तथा विद्यावारिधि स्तर पर।
- अनुसंधान में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के पास उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश होंगे।
- यूजीसी और अन्य नियामक संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

अनुसंधान के लिए प्राथमिकताएँ और महत्वपूर्ण क्षेत्र

- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय संबंधित विभिन्न संस्थागत समितियों और अन्य संबंधित परिषदों के परामर्श से अनुसंधान की प्राथमिकताओं और प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेगा। अनुसंधान की प्राथमिकताओं और प्रमुख क्षेत्रों को इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सुविधाओं, धन/छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन/अध्येतावृत्ति की उपलब्धता और मूलभूत संरचना के विवरण के साथ व्यवस्थित रूप से संचालित करने की आवश्यकता है।

• महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अनुसंधान परियोजनाओं, प्रकाशनों, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और पांडुलिपि भंडार के संबंध में अनुसंधान को प्राथमिकता देगा।

निम्नलिखित प्राथमिकताएं और प्रमुख क्षेत्र हैं, साथ ही ये समय-समय पर समीक्षा के विषय हैं:

1. पांडुलिपियों का संपादन और महत्वपूर्ण संस्करणों की तैयारी

- संपादन सिद्धांतों और नियमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण संपादन।
- प्रकाशित एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों की आलोचनात्मक समीक्षा।
- एकल उपलब्ध पांडुलिपि का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करना।
- संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद के साथ विशेष संस्करण।
- पांडुलिपियों को संलग्न करना, एकत्र करना, खरीदना, डिजिटाइज़ करना और आईपीआर और स्वत्व (पेटेंट) के रूप में स्वीकार करना, ये सभी कार्य विश्वविद्यालय में किए जाएंगे।

2. भारतीय ज्ञान परंपराएँ और उनका अनुप्रयोग

- भारतीय ज्ञान परंपराओं की सबसे समृद्ध परंपराओं के संदर्भ में समसामयिक समस्याओं, चुनौतियों और प्रकरणों पर शोध।
- भारतीय ज्ञान परंपराओं से संबंधित कुछ शोध वैज्ञानिक और मौलिक अनुसंधान के रूप में अपेक्षित हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में नए सिद्धांतों के मार्ग प्रशस्त करेंगे।
- भारतीय ज्ञान परंपराओं की इन चिंताओं और कार्यक्षेत्र के साथ सहसंबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने वाला शोध।
- प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, संग्रहालय विज्ञान, वैदिक कृषि, औषधियों की परंपरा, स्वास्थ्य देखभाल आदि से संबंधित अनुसंधान महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।
- अन्य शास्त्रीय अनुशासन से संबंधित विषय, संस्कृत ज्ञान प्रणाली की संबद्ध शाखाओं पर अंतर्विषयक और बहु-विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित किए जाते हैं।
- संस्कृत भाषा के आलोचनात्मक तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति के अनुसंधानों तथा अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा के संबंध को प्रतिपादित करने विषयक अनुसंधानों को महत्व दिया जाता है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित विषय और क्षेत्र अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान और पारंपरिक अध्ययन, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, तकनीकी प्रयोग आधारित अनुसंधान, अर्थात् संस्कृत के शिक्षण के लिए तकनीकी संसाधनों का विकास, सीखने और संस्कृत ज्ञान प्रणाली के इष्टतम उपयोग के लिए उपकरणों और सॉफ्टवेयर का विकास शोध के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

3. भारतीय ज्ञान परम्पराओं की आलोचना की समीक्षा

- भारतीय शास्त्रीय साहित्य की समीक्षा।
- औपनिवेशिक दृष्टिकोण द्वारा किए गए सिद्धांत निर्माणों और प्रचार-प्रसार का मूल्यांकन।
- आधुनिक टिप्पणीकारों और विद्वानों द्वारा पूर्व प्रकाशनों और प्रचार-प्रसार की आलोचना।

4. ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रायोगिक अनुसंधान

- शैक्षिक अनुसंधान की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर होना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्रों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नए पाठ्यक्रम, शैक्षणिक प्रयोग और संस्कृत शिक्षण-सीखने की प्रथाओं में वृद्धि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बद्ध हैं।
- शैक्षिक अनुसंधान को मातृभाषा के माध्यम की ओर वर्धमान नए प्रतिमान और शिक्षण-सीखने की प्रथाओं पर इसके प्रभाव से संघर्ष करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप संस्कृत शिक्षा में नई संभावनाएं और नवाचार भी होंगे।
- ऐतिहासिक शैक्षिक अनुसंधान को प्राचीन भारतीय इतिहास और भारत की शैक्षिक प्रणालियों से संबंधित होना चाहिए। इन शैक्षिक घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक शोध पद्धति स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।
- वर्णनात्मक सर्वेक्षण-आधारित अनुसंधान के द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संस्कृत भाषा में निबद्ध ग्रन्थों पर शोध हेतु विशेष अवधान किया जाएगा।
- प्रयोगात्मक शैक्षिक अनुसंधान को शिक्षण पद्धतियों, मानविकी और विज्ञान विषयों के अध्यापन हेतु शिक्षण पद्धतियों पर आधारित प्रयोगात्मक शैक्षिक अनुसंधान में भारतीय पद्धतियों का आश्रय लिया जाएगा तथा भारतीय अनुसंधान पद्धतियों को विकसित करने के लिए नवीन अध्ययनों को प्रोत्साहित और अनुशंसित किया जाएगा।

अनुसंधान के लिए संकाय तथा विभाग

1. वेद-वेदांग तथा साहित्य संकाय

ज्योतिष शास्त्र विभाग

ज्योतिर्विज्ञान विभाग

साहित्यशास्त्र विभाग

वास्तु विभाग

दर्शन विभाग

2. कला संकाय

विशिष्ट संस्कृत विभाग

3. प्राचीन विज्ञान संकाय

योग विभाग

4. शिक्षाशास्त्र संकाय

शिक्षाशास्त्र विभाग

विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय तथा एमओयू के आधार पर सहयोग करने वाले संस्थानों में भी अनुसंधान को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड

प्रत्येक शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव का पर्यवेक्षण किया जाएगा, साक्षात्कार के माध्यम से शोधकर्ता की प्रस्तुति का परीक्षण और शोध कार्य के लिए पंजीकरण की अनुशंसा अनुसंधान समूह द्वारा की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी:

- कुलपति

अध्यक्ष

• सभी संकायाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष	सदस्य
• अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पांच बाह्य विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामांकित)	सदस्य
• परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
• अनुसंधान विभाग के प्रमुख	सदस्य सचिव

केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड की भूमिकाएँ और कर्तव्य

- विश्वविद्यालय के अनुसंधान नीति अभिलेख तैयार करना।
- अनुसंधान का सीमांकन तैयार करना, जिसमें प्रमुख और छोटी परियोजनाएं, परामर्श सम्मिलित होंगे कोई अन्य अनुसंधान गतिविधियाँ जो अकादमिक परिषद द्वारा सौंपी जा सकती हैं।
- शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना और शोध के विषय को अंतिम रूप देना।
- अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्रों, यदि कोई हो, का परिप्रेक्ष्य तैयार करना।
- विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण के लिए संस्थागत अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।
- अंतर-विषयक और बहु-विषयक अनुसंधान कार्यों/कार्यक्रमों का संचालन और प्रचार करना और विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वित्तपोषण का लाभ उठाना/व्यवस्था करना।
- प्रत्येक विभाग में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और अनुसंधान के दौरान किसी भी प्रकार की अनुदान और प्रगति का मूल्यांकन करना और समय-समय पर प्रगति की आलोचनात्मक निरीक्षण करना।
- विभागों में अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संकेतित करना, विशेष रूप से विश्वविद्यालय की भूमिका और कर्तव्य के संदर्भ में और विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं पर विचार करना और संबंधित विभागों और व्यक्तिगत हित के लिए स्वीकृत प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जहां भी आवश्यक हो सुविधाएं प्रदान करना।
- यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक है, तो अनुसंधान बोर्ड इसके कारणों को उल्लेखित करेगा और सुधारात्मक उपाय सुझाएगा। यदि, शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को समावेशित करने में विफल रहता है, तो अनुसंधान बोर्ड शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के लिए विशिष्ट कारणों के साथ परिसर को परामर्श प्रदान कर सकता है।

केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड के लिए प्रावधान

- केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड की वर्ष में कम से कम दो बार नियमित बैठक होगी।
- उपर्युक्त खंडों के साथ किसी भी प्रकार की विसंगतियों या प्रकरणों पर, कुलपति के पास मामलों को हल करने की शक्ति होगी।

केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड की स्थायी समिति

कुलपति	अध्यक्ष
परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
वाह्यविशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
2 विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष(कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य

स्थायी समिति केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड के उपर्युक्त सभी कार्यों की समीक्षा करेगी। यदि, कुलपति बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, तो अनुसंधान विभाग के प्रमुख बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अनुसंधान एवं विकास के संबंध में यूजीसी के दस्तावेज़ के अनुसार, अनुसंधान सलाहकार परिषद का गठन कुलपति की अध्यक्षता में किया जाता है, जो केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड के समकक्ष है।

अनुसंधान नीति का कार्यान्वयन तंत्र

• विश्वविद्यालय का केंद्रीय अनुसंधान बोर्ड विश्वविद्यालय प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर अन्य समितियों के साथ मिलकर काम करके इस अनुसंधान नीति अभिलेख को आदेशित करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुसंधान के विभागप्रमुख नीति अभिलेख के कार्यान्वयन का निर्धारण करेंगे।

नीति को क्रियान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कुछ तंत्र हैं:

- संकाय सदस्यों को अनुसंधान करने और उनके साथ काम करने में सुविधा प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रारंभिक धन उपलब्ध कराने के लिए एक शोध कोष स्थापित करेगा।
- भारतीय ज्ञान विरासत/परंपरा/प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- वैश्विक ज्ञान समाज की समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकाशित एवं स्थापित शोध कार्य को पुनः प्रस्तुत करना।
- उन विद्वानों का मार्गदर्शन, समर्थन और पर्यवेक्षण प्राप्त करना, जो शिक्षा के किसी भी अनुशासनात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, फिर भी आजीवन अभ्यास द्वारा ज्ञान का भण्डार रखते हैं। शास्त्रों के मूल अर्थ एवं उनके ज्ञान की व्याख्या एवं स्थापना करना।
- औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले पूर्वी विद्वान और इतिहासकार तथा पश्चिम द्वारा की गई वर्तमान गलत व्याख्या को सुधारना और उसकी आलोचना करना।
- सभी प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रथाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा करना।
- प्रयोगशाला उपकरण, अनुसंधान पत्रिकाओं और के संदर्भ में अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना संकाय सदस्यों द्वारा अपेक्षित अनुसंधान प्रोत्साहन आदि।
- अकादमियों को प्रयोगशाला उपकरण जैसी आवश्यक अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करना, अनुसंधान प्रकाशन, और अनुसंधान प्रोत्साहन आदि। अन्य अनुसंधान संगठनों/उद्योग के साथ साझेदारी के माध्यम से संकाय को अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करना।
- एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाले अनुसंधान को पहचानने के लिए उचित मानक स्थापित करना। संगठनों या विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करके कुछ अनुसंधान इकाइयों या केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाना।

- कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों के आयोजन के माध्यम से विश्वविद्यालय में अनुसंधान संस्कृति को प्रोत्साहित करना।
- छात्रों को उनके शोध कार्यों में सहायता करने के लिए अनुदानराशि(बजट) बनाना।

अनुसंधान के लिए आचार संहिता

- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में शोध करने वाले सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों के संबंध में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और व्यावसायिकता के उच्च मानकों को बनाए रखें।
- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अनुसंधान में साहित्यिक चोरी और कदाचार के संबंध में यूजीसी के नियमों का पालन करता है जैसा कि कदाचार और साहित्यिक चोरी की निरीक्षण के लिए आचार संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- विद्यावारिधि (पीएचडी) के लिए शोध कार्य समर्पण करने से पहले, साहित्यिक चोरी और अन्य कदाचार के लिए परिसर स्तर पर संबंधित अधिकृत द्वारा शोध कार्य की समीक्षा की जाएगी। शोधसमर्पण करने के संबंध में, प्रत्येक छात्र केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और अनुशंसित प्रयास के रूप में साहित्यिक चोरी की पूरी तरह से निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय के परिसरों और संबद्ध संस्थानों में सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- अनुसंधान कार्य की अस्वीकृति की विशिष्ट नियम - अनुचित अनुसंधान पद्धति, व्याकरण संबंधी त्रुटियां, स्पष्टीकरण/विवरण की कमी, अनुचित उद्धरण और संदर्भ आचार संहिता का उल्लंघन, कदाचार और साहित्यिक चोरी, पिछले शोध कार्य का पुनरुत्पादन, निर्माण और मिथ्याकरण आदि।

उक्त सभी प्रकरणों की समीक्षा और निर्णय के लिए विशिष्ट नियम और अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अनुसंधान कदाचार

- अनुसंधान कदाचार को अनुसंधान का प्रस्ताव करने, प्रदर्शन करने, या समीक्षा करने, या अनुसंधान परिणामों की प्रतिवेदन करने में निर्माण, मिथ्याकरण, या साहित्यिक चोरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- निर्माण का अर्थ है सूचना(डेटा)या परिणाम बनाना और उन्हें अभिलेखित(रिकॉर्ड)करना या प्रतिवेदन करना।
- मिथ्याकरण का अर्थ है अनुसंधान सामग्री, उपकरण या प्रक्रियाओं में संशोधन करना या परिणामों को परिवर्तित करना जिससे कि अनुसंधान का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है
- अनुसंधान रिकॉर्ड में साहित्यिक चोरी का अर्थ है किसी और के काम या विचार को लेना और उसे आगे बढ़ाना।

साहित्यिक चोरी विरोधी नीति

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने इस संबंध में स्पष्ट किया है, शैक्षणिक अखंडता को प्रोत्साहन देना और उच्च शिक्षा में साहित्यिक चोरी का नियंत्रण संस्थान विनियम 2022 पालन किया जाना अनिवार्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय इसके लिए नीति तैयार करता है, साहित्यिक चोरी का नियंत्रण अनुसंधान कार्य को एंटी-प्लागारिजम के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

• इस विश्वविद्यालय के सभी शोध छात्रों, शोध मार्गदर्शकों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वे कदाचार और साहित्यिक चोरी की निरीक्षण करने के लिए आचार संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लिखित साहित्यिक चोरी पर नीति को पढ़ें और समझें।

समझौते/एमओयू/एलओए

- केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और भारत और विदेशों के अनुसंधान परिषदों के साथ अनुसंधान-आरंभित सहमति ज्ञापन (एमओयू) और प्राधिकरण पत्र (एलओए) में प्रवेश करके, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय सहयोगात्मक दृष्टि से अनुसंधान की उत्कृष्टता स्थापित करेगा।
- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अन्य केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान परिषदों के साथ एमओयू और एलओए के लिए अनुनय प्रारम्भ करेगा।
- अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित सभी एमओयू/एलओए महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्यों का पालन करेंगे।

विद्यावारिधि के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति

• अनुसंधान सलाहकार समिति के गठन में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

अनुसंधान के विभाग प्रमुख	अध्यक्ष
संबन्धित संकाय अध्यक्ष	सदस्य
विश्वविद्यालय स्तर पर विभागाध्यक्ष	सदस्य
संबन्धित विषय के वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष	सदस्य
वाह्य विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य
अनुसंधान पर्यवेक्षक	समन्वयक

• प्रत्येक शोधार्थी के लिए विश्वविद्यालय के विधि/अध्यादेशों में परिभाषित समान उद्देश्य के लिए एक शोध सलाहकार समिति होगी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग-अलग एवं विशेष रूप से शोध सलाहकार समिति गठित की जायेगी। विद्वान का अनुसंधान पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा।

• इस समिति का निम्नलिखित कर्तव्य होगा।

• शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के विषय को अंतिम रूप देना।

• शोधार्थी को अध्ययन प्रारूप और अनुसंधान की पद्धति विकसित करने और उस पाठ्यक्रम की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन करना।

• शोधार्थी के शोध कार्य की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उसकी प्रगति में सहायता करना।

अनुसंधान पर्यवेक्षक के रूप में संकाय सदस्यों के कर्तव्य

- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से समायोजित करने के लिए, संकाय सदस्यों के साथ-साथ उनके अनुसंधान विद्वानों को कुछ स्वतंत्रता का आश्वासन प्रदान करेगा। संकाय सदस्यों को अनुसंधान के अनुसरण और समर्थन में अकादमिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्योंकि यह नवाचार, अनुसंधान और विकास को सकारात्मक रूप से गति देता है।
- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों को अनुसंधान सलाहकार समिति और स्थानीय अनुसंधान के परामर्शों के अनुसार प्रयोग, सर्वेक्षण, संपर्क सत्र, वाह्य परामर्श गतिविधियां, सम्मेलन और सहयोगात्मक गतिविधियां करने का अधिकार है।
- यह महत्वपूर्ण है कि सभी संकाय सदस्य इस शोध नीति का पालन करें।
- संकाय सदस्यों को काम करने वाले कर्मचारियों और छात्रों के प्रति अपने दायित्वों के बारे में पता होना चाहिए
- यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि कम से कम वार्षिक रूप से, प्रत्येक संकायसदस्य को अपने शोध कार्य की प्रगति और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
- व्यक्तिगत स्तर पर, प्रत्येक संकाय सदस्य और छात्र के सर्वोत्तम हितों की विशेष चिंता होनी चाहिए। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अपने संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों के लिए समर्थन और प्रशंसा प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शोधार्थी के कर्तव्य

सभी शोधार्थी महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, जो मुख्य रूप से संस्कृत ज्ञान प्रणाली के आलोक में संस्कृत भाषा, साहित्य और शिक्षा के प्रचार और प्रसार से संबंधित हैं।

- शोध के लिए विषय/विषय पर विचार करते समय, और शोध की पूरी प्रक्रिया का संचालन करते समय, सभी शोधार्थी समीक्षा तर्क और परामर्श पर ध्यान केंद्रित करेंगे। संबंधित साहित्य की पुनर्समीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम और किसी भी शोध प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। इससे अनुसंधान के लिए वास्तविक नए कार्यक्षेत्र और प्रासंगिक विषयों/तथ्यों की सुविधा मिलेगी। किए गए अनुसंधान कार्य के औचित्य पर ध्यान केंद्रित करने से अनुसंधान के क्षेत्र और दृष्टिकोण और अनुसंधान की व्यवहारिकता को उचित ठहराने में सहायता मिलेगी। शोध कार्य की योजना और सारांश बनाते समय, शोधकर्ता को शोधप्रबन्ध के एक अलग और अंतिम अध्याय में अनुशंसाएँ प्रस्तुत करनी चाहिए। INFLIBNET के निर्देशों के अनुसार शोधप्रबन्ध को शोधगंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए शोधप्रबन्ध में अनुशंसा का खंड अनिवार्य है।
- सभी शोधकर्ता अनुसंधान कार्य के लिए इस नीति अभिलेख और विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
- सभी शोधार्थियों को न्यूनतम शोधपत्र के गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन के प्रति सचेत रहना चाहिए।
- शोध पत्र जो यूजीसी केयर/सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने चाहिए,
- पीयर रीव्यूड पत्रिकाओं में शोध पत्र को शोधार्थी (पहले नाम के रूप में) और शोधनिर्देशक(दूसरे नाम के रूप में) दोनों नामों से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

- लेख (शोधपत्र) वर्तमान में किए जा रहे शोध के विषय/विषय पर आधारित और संबद्ध होने चाहिए।

विद्यावारिधि/(Ph.D) उपाधि हेतु किए जाने वाले अनुसंधान के संचालन के लिए प्रक्रियाएं -

- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में हर स्तर पर अनुसंधान से संबंधित प्रक्रियाओं को इसी प्रकार से विनियमित किया जाएगा।
- समय समय पर यूजीसी के दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुसार और आगे भारत के उच्च शिक्षा आयोग के निर्देशों के अनुसार अनुसंधान नीति, अनुसंधान पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक की योग्यता, अनुसंधान कार्य की अवधि, अनुसंधान के गवर्निंग बोर्ड और समितियां, अनुसंधान के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम कार्य, अनुसंधान कार्य से जुड़े अधिकारियों की भूमिकाएं और कर्तव्यों, नियम सहित अनुसंधान से संबंधित सभी तथ्य परिवर्तित तथा परिष्कृत किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम कार्य

- पाठ्यक्रम कार्य अनिवार्य होगा और संबंधित वर्ष में दो बार सत्रार्थ-प्रणाली के रूप में उपलब्ध होगा। एक शोधार्थी अपनी सामाजिक-शैक्षणिक स्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। यदि शोधार्थी ने एक बार पाठ्यक्रम कार्यक्रम (कोर्सवर्क) के साथ शोधोपाधि प्राप्त की है तो दूसरी पीएच.डी. के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम (कोर्सवर्क) की अनिवार्यता नहीं होगी।
- जिन शोधार्थियों को यूजीसी के नियमों और विनियमों में कोर्सवर्क से छूट दी गई है। ऐसा शोधार्थी विशिष्ट प्रदत्त कार्य को पूरा करेगा।
- पहले से ही एम.फिल. की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी को पीएच.डी. में प्रवेश लेने पर अनुसंधान सलाहकार समिति कोर्सवर्क में छूट प्रदान कर सकती है।

पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में क्रेडिट

- पीएचडी के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य के लिए क्रेडिट की न्यूनतम संख्या आवश्यक है। कार्यक्रम कम से कम 12 क्रेडिट और अधिकतम 16 क्रेडिट का होना चाहिए।
- पहले छह महीने पाठ्यक्रम कार्य के लिए निर्धारित हैं, पुनः अग्रिम 6 महीने अनुसंधान प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं के लिए हैं: अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान का क्षेत्र/विषय, संबंधित साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान समस्या की पहचान और अनुसंधान प्रस्ताव। एक वर्ष के पश्चात् शोध सलाहकार समिति द्वारा शोधार्थी की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। अनुसंधान सलाहकार समिति की अनुशंसा पर प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

शोधप्रबन्ध का माध्यम

- शोध कार्य का माध्यम संस्कृत होगा, किन्तु योग, ज्योतिर्विज्ञान एवं वास्तु विभाग के अन्तर्गत किए जाने वाले शोध कार्य हिन्दी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिसे मात्र यूनिकोड फॉन्ट (मंगल/अपराजिता/कोकिला) और देवनागरी लिपि में टाइप किया जा सकता है। फॉन्ट का आकार 14 तथा पंक्तियों में अन्तर 1.0 होगा।

- शोधार्थियों को सरल मानक संस्कृत के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- अंतर्विषयक और बहुविषयक अनुसंधान कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार परामर्श अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा दिया जा सकता है, जिसे कुलपति के द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- किसी भी विषय में लिखे गये शोधप्रबन्ध का मुख्य रूप से स्वीकृत माध्यम संस्कृत है लेकिन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की अनुमति से विदेशी छात्रों हेतु कोई अन्य भारतीय भाषा भी शोधप्रबन्ध का माध्यम हो सकती है। यह विदेशी छात्रों या आधुनिक वैज्ञानिक विषयों और मानविकी के क्षेत्र में अंतःविषय/बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ काम करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष प्रावधान है। गैर-संस्कृत के लिए द्विभाषी प्रारूप अनिवार्य होगा।

उपसंहार

- महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का यह शोध नीति अभिलेख अनुसंधान सम्बन्धी महत्वपूर्ण नियमों तथा निर्देशों को प्रस्तुत करता है तथा विशिष्ट कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। किसी भी स्थिति में, यदि इस शोध नीति में कोई विरोधाभास, विवाद या संघर्ष उपस्थित होता है तो, तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति का निर्णय और निर्देश अंतिम होगा।

प्रारूप समिति

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रोफेसर विजयकुमार सी.जी. (कुलपति) | अध्यक्ष |
| 2. डॉ.तुलसीदास परौहा (सह प्राध्यापक) | सदस्य |
| 3. डॉ. पूजा उपाध्याय (सहायक प्राध्यापिका) | सदस्य |
| 4. डॉ.उपेन्द्र भार्गव (सहायक प्राध्यापक) | सदस्य |
| 5. डॉ. अखिलेश कुमार द्विवेदी (सहायक प्राध्यापक) | सदस्य |
| 6. डॉ. शुभम शर्मा (सहायक प्राध्यापक) | सदस्य |
| 7. डॉ.संकल्प मिश्र (सहायक प्राध्यापक) | सदस्य |